5
मजदूरी

प्रस्तावना

5.1 यद्यपि भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एकसमान तथा व्यापक मजदूरी नीति नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी केा निर्धारण तथा उनके प्रवर्तन के लिए तंत्र विद्यमान हैं। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है । असंगठित क्षेत्र में, जहां श्रम का शोषण किया जा सकता है, जहां श्रम ठीक तरह संगठित नहीं होता तथा जहां कोई प्रभावी सौदेकारी शक्ति नहीं होती, वहां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है । अधिनियम नियोक्ताओं को समय-समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 आठवीं स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए 11.4.1946 को केन्द्रीय विधायी परिषद में न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया। न्यूनतम मजदूरी विधेयक भारतीय डोमिनियन विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया तथा 15 मार्च, 1948 से प्रवृत्त हुआ । अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ते (परिवर्ती महंगाई भत्ता) जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अक्तूबर में अर्थात वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा पच्चीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है । केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशल कर्मकारों के संबंध में निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैं ।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

5.3 1985 में आयोजित 28वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय मूल निर्वाह मजदूरी स्तर को बढ़ाया जाए और उससे कम मजदूरी निर्धारित न की जाए चाहे कार्य प्रकृति, नियोजन प्रकृति तथा अन्य कारक अलग-अलग ही क्यों न हों। न्यूनतम मजदूरी में असमानता के कारण केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मूल जीवन निर्वाह स्तर की न्यूनतम मजदूरी की धारणा अपनाई तथा इसे 1996 से 35 रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित किया। यह 1991 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा मूल्य-स्तर में अनुवर्ती वृद्धि पर आधारित था।

5.4 बढ़ते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1998 में न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की थी, जिसे बढ़ाकर 1.12.1999 से 45 रुपये और 1.9.2002 से 45 रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1.02.2004 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 66/- प्रतिदिन कर दिया गया है। माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की निर्धारित/संशोधित दरें रु. 66/- प्रतिदिन से कम न रहें ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.5 यू पी ए सरकार फार्म में कार्य करने वाले श्रमिकों और कामगारों, खासकर असंगठित क्षेत्र में, कल्याण तथा भलाई में वृद्धि करने एवं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने

के लिए प्रतिबद्व है । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से किया जाता है । के.औ.सं.तं (सी आई आर एम) द्वारा प्रवर्तन के मामलों की स्थिति सारणी 5.2 में दर्शाई गई है ।

राज्य क्षेत्र में

5.6 राज्य के औद्योगिक संबंध तंत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की मॉनीटरिंग की प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है । विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 2004-2005 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की स्थिति संबंधी तालिका 5.3 में दर्शायी गई है ।

5.7 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को पिछली बार वर्ष 1946 में संशोधित किया गया था और वर्तमान में एक व्यापक संशोधन सरकार के विचाराधीन है । मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार, मसौदा विधेयक 02.07.2001 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को संबंधित श्रम मंत्रियों से अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त भेजा गया था । उनसे प्राप्त टिप्पणियों की मंत्रालय द्वारा जाँच की जा रही है । भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मौजूदा विधानों सहित प्रस्तावित संशोधनों पर भी चर्चा की गई । इस संबंध में अंतिम प्रस्ताव तैयार करने से पहले इस मामले पर न्यूनतम मजदूरी संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.8 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी को विनियमित करने तथा उनके लिए अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2005 की स्थिति (2005 का 41)

5.9 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत वर्तमान मजदूरी सीमा काफी समय पूर्व वर्ष 1982 में निर्धारित की गई थी और तब से धन के मूल्य-ह्रास के कारण इसकी अनुप्रयोज्यता में कमी आई है । अतः इस अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के लिए मजदूरी की मौजूदा उच्चतम सीमा को 1600/-रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 6500/-रूपये प्रति माह करने तथा भविष्य में, केन्द्र सरकार के अधिसूचना के माध्यम से उच्चतम सीमा में वृद्धि आदि करने के निहितार्थ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की सम्मति प्राप्त हो जाने के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इसे 08.09.2005 को 2005 के अधिनियम 41 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया । तत्पश्चात्, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 9 नवंबर, 2005 को सां.आ. 1577(अ.) द्वारा मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की है ।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

5.10 कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 9 और 13 में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित या संशोधित करने के लिए दो मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल है:

1. समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

2. कार्यरत पत्रकारों/गैर पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीा व्यक्ति; और

3. "ाार निर्दलीय व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और जिसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए ।

5.11 मजदूरी बोर्ड के गठन के लिए अधिनियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं । सरकार ने सितम्बर, 1994 में न्यायमूर्ति राजकुमार मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया- उनमें से एक कार्यरत पत्रकारों के लिए और दूसरा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए था । मजदूरी बोर्डों ने 25.7.2000 को अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को पेश की । सरकार ने इन सिफारिशों के कुछ गौण संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और सरकार के निर्णयों को भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः 5.12.2000 तथा 15.12.2000 को अधिसूचित किया गया थां । तथापि, सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है ।

15.12 सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा गया है ।

- पंचाटों के क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठों का गठन ।
- क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु त्रिपक्षीय मॉनीटरिंग समिति का गठन।
- सिफारिशों के तत्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाना।
- 31.3.2001 को समाप्त तिमाही को सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

5.13 सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति का गठन भी किया गया है । समिति के अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) शामिल हैं और मंत्रालय में प्रभारी निदेशक, मजदूरी बोर्ड अनुभाग, सदस्य सचिव हैं।

5.14 समिति की दिनांक 8.3.2002, 13.11.2002, 06.06.2003, 28.1.2004 और 11.08.2005 को पांच बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें यह निर्णय लिया गया कि पंचाटों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) अपने क्षेत्रीय श्रमायुक्तों के माध्यम से राज्य सरकारों के संपर्क में रहें, जिससे f^ इा^ अनुपालन में व्यापक सुधार हो । यह निर्णय भी लिया गया है कि केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति उन राज्यों का दौरा करेंगी जहाँ पंचाटों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है। पंचाटों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ^द्रीय स्तर की एक मा-ाीटरिंग समिति ो 10-12 जुलाई, 2003 को असम के गुवाहाटी, उड़ीसा के भुवोश्वर तथा 26-27 अक्टूबर, 2005 को मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर और 4-6 जावरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद का दौरा f^ या था ।

5.15 केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक 1462 के लगभग समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से सूचना प्राप्त हुई है। 1507 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 423 (28.06%) ने पूरी तरह से और 148 (9.82%) ने आंशिक रूप से पंचाट को क्रियान्वित किया है । 936 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (62.11%) ने अभी तक मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है । 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेज रहे हैं। 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद तिमाही प्रगति रिपोर्टें बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें (7) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होती क्योंकि या तो वहाँ पर कोई भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं हैं

या समाचार पत्र प्रतिष्ठान बहुत छोटे हैं। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया है। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के गठन के राज्य-वार विवरण सारणी 5.4 में दर्शाए गए हैं।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.16 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में 20 अथवा अधिक व्यक्तियों के किसी कारखाने एवं प्रतिष्ठान में नियोजित होने पर कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था है ।

5.17 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-2 के खण्ड (13) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए "कर्मचारी" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी वेतन/मजदूरी किसी भी उद्योग में 3500/- रूपये प्रति माह से अधिक नहीं है, बशर्ते कि उसने उस वर्ष में न्यूनतम 30 कार्य दिवसों तक अवश्य कार्य किया हो । बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-12 में गणना के लिए मौजूदा 2500/- रूपये की उच्चतम सीमा की व्यवस्था है, जिसका अर्थ यह है कि बोनस प्राप्त करने के पात्र कर्मचारियों के बोनस की गणना तभी की जाएगी जब उनका प्रतिमाह वेतन/मजदूरी 2500/- रूपये हो ।

5.18 इस अधिनियम की धारा-2 खण्ड (13) और धारा-12 के अंतर्गत पात्रता एवं गणना की उच्चतम सीमा को आखिरी बार 9 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के माध्यम से परिशोधित किया गया था तथा इसे 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी बनाया गया ।

5.19 इस अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं प्रतिष्ठान द्वारा देय न्यूनतम बोनस 8.33 % है । इस अधिनियम की धारा-31 क के अंतर्गत किसी लेखा वर्ष में उत्पादकता जुड़ा बोनस सहित, अधिकतम बोनस 20 % से अधिक नहीं दिया जा सकता ।

5.20 बोनस अधिनियम, 1965, जिसमें द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पात्रता सीमा को 3500/- रूपये से बढ़ाकर 7500/- रूपये करने तथा गणना की सीमा को 2500/- रूपये से बढ़ाकर 3500/- रूपये करने का एक प्रस्ताव सभी संबंधितों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु सरकार के पास विचाराधीन है ।